① Ch. Village ①

Add

(*) भारतीय गाँवों की सामाजिक संरचना : निम्नलिखित हैं :-

(1) परिवार, विवाह एवं नातेदारी (Family, Marriage and Kinship)-

ग्राम की सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है; व्यक्ति से बड़ी इकाई क्रमशः परिवार, नातेदारी समूह, वंश समूह, उपजाति और वर्ण हैं जैसे कि आगे दिए गए चित्र 'अ' से प्रकट होता है। परिवार सामाजिक संरचना एवं साथ ही भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की भी इकाई है। ग्रामीण परिवारों में अधिकांशतः विस्तृत एवं संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। ये परिवार मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक एवं पुरुष-प्रधान होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ग्रामीण परिवारों की कई विशेषताएँ हैं, जैसे परिवार में मुखिया का कठोर नियन्त्रण होता है, तीन या चार पीढ़ियों के सदस्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं, उनका भोजन, पूजन एवं सम्पत्ति सामूहिक होती है। परस्पर सहयोग, पितृ पूजा एवं परम्पराओं का आचरण ऐसे परिवारों में देखा जा सकता है। ग्रामीण परिवार उत्पादन एवं उपयोग की इकाई होते हैं।

(अ)

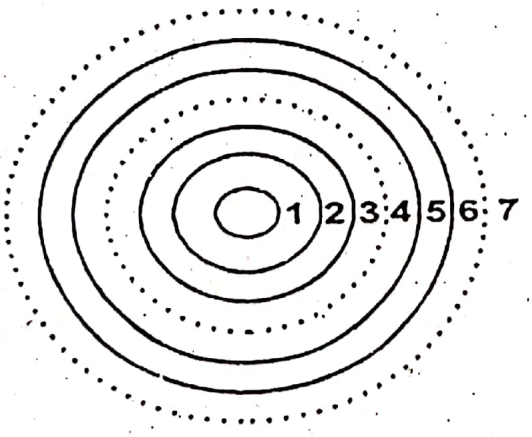

1. व्यक्ति
2. परिवार
3. निकट बन्धुत्व समूह
4. वंश समूह (कम प्रभावी इकाई)
5. सम्बन्धी (रक्त एवं वैवाहिक)
6. उप-जाति और जातियाँ
7. वर्ण

(ब)

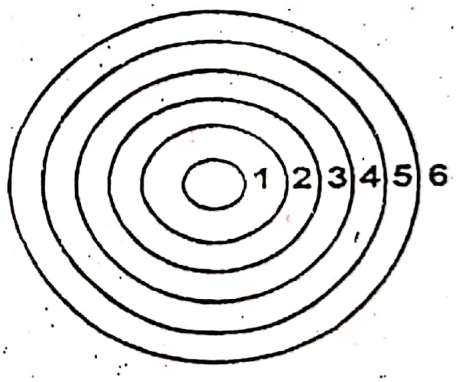

1. व्यक्ति
2. परिवार
3. ग्राम
4. अन्तर्ग्राम संगठन
5. प्रदेश (Region)
6. राष्ट्र

गाँवों में विवाह दो व्यक्तियों को नहीं वरन् दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। विवाह का दायरा उपजाति तक ही सीमित होता है। गाँव में विवाह एक अनिवार्य संस्था के रूप में माना जाता है। ग्रामीण विवाह अधिकांशतः अल्पायु में ही सम्पन्न होते हैं। उच्च जातियों में विधवाओं के पुनर्विवाह नहीं होते जबकि निम्न जातियों में इसकी छूट है। सगोत्र विवाहों पर प्रतिबन्ध होता है। उत्तर भारत के गाँवों में न केवल अपने ही गाँव में

Scanned with CamScanner

विवाह करना मना होता है वरन् गाँव की सीमा से लगे गाँवों में भी विवाह करना उचित नहीं माना जाता। इसके विपरीत दक्षिण भारत के गाँवों में अधिकतर विवाह गाँव में ही सम्पन्न होते हैं। इस नाते वहाँ विवाह की दृष्टि से गाँव आत्मनिर्भर हैं।

परिवार और विवाह का विस्तार नातेदारी समूह को जन्म देता है। व्यक्ति अपने रक्त एवं विवाह सम्बन्धियों से सम्बन्धित होता है। रक्त सम्बन्धियों में वंश सम्बन्धियों को गिना जाता है। विवाह में कुछ प्रकार के नातेदारों से विवाह को अधिमान्यता दी जाती है, जैसे दक्षिणी भारत में ममेरे-फुफेरे भाई-बहिनों का विवाह (Cross-cousin marriage), तो कुछ रिश्तेदारों के साथ विवाह करने पर निषेध होता है। कठिनाई के दिनों में एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से सहायता और सहानुभूति की अपेक्षा रखता है। निकट सम्बन्धी सामाजिक नियन्त्रण का कार्य भी करते हैं। गाँव में एक व्यक्ति अपने परिवार एंवं नातेदारी सम्बन्धों के आधार पर जाना जाता है।

(2) **जाति (Caste)**— ग्रामीण सामाजिक संरचना का दूसरा मूल आधार जाति है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। प्रत्येक जाति का एक परम्परात्मक व्यवसाय होता है। एक व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करता है। जाति अन्य जातियों के साथ खान-पान के नियम भी तय करती है और अपने सदस्यों पर नियन्त्रण रखती है। जाति ही गाँव में व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति निर्धारित करती है एवं जातीय संस्कृति का अपने सदस्यों में संचरण करती है। गाँव में सामाजिक संस्तरण का मुख्य आधार जाति ही है। विभिन्न जातियाँ परस्पर आर्थिक सम्बन्धों, कर्तव्यों एवं दायित्वों से बंधी होती हैं। जातियों के इस सम्बन्ध को जजमानी प्रथा कहते हैं। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियन्त्रण रखती है तथा जातीय नियमों का उल्लंघन करने वाले को दण्ड देती है। जातियों की समग्रता गाँव की उदग्र एकता (Vertical Unity) का निर्माण करती है। किन्तु एक जाति एक गाँव तक ही सीमित नहीं होती वरन् दूसरे गाँव में भी फैली होती है और वह क्षैतिज एकता (Horizontal Unity) को उत्पन्न करती है।

(3) **ग्राम पंचायत (Village Panchayat)**— गाँव में ग्राम पंचायत सत्ता और शक्ति का केन्द्र होती है तथा समुदाय की सामाजिक संरचना को संगठित करती है। गाँव पंचायत प्रारम्भ से ही प्रशासन की इकाई रही है। गाँव पंचायतों पर परिवार, जाति, वर्ग, वंश आदि का प्रभाव होता है। ग्राम पंचायतें अन्तर्वैयक्तिक एवं अन्तर्जातीय सम्बन्धों के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जाति पंचायत गाँव पंचायतों के कार्य संचालन में योग देती है। परम्परात्मक गाँव पंचायतों के स्थान पर वर्तमान में पंचायती राज के द्वारा नयी पंचायतों की व्यवस्था की गयी है जो अधिक प्रजातन्त्रीय प्रणाली पर आधारित है। गाँव में इस नयी व्यवस्था ने ग्रामीण शक्ति संरचना, नेतृत्व, गुटबन्दी तथा दलीय प्रणाली के नये आयामों को जन्म दिया है। ग्राम पंचायतें गाँव में अनेक प्रशासकीय, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्य करती हैं। गाँव की सफाई, रोशनी, शिक्षा, संघर्षों का निपटारा, चरागाह भूमि की सुरक्षा, विकास एवं न्यायिक कार्य आदि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र हैं। पंचायती राज में ग्राम

Scanned with CamScanner

स्तर पर पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद् की स्थापना की गयी है।

(4) आर्थिक संस्थाएँ (Economic Institutions)— ग्रामीण आर्थिक संस्थाएँ भी ग्रामीण सामाजिक संरचना का भाग हैं। गाँव की अर्थव्यवस्था जाति-व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ अधिकांश लोग कृषि के द्वारा अपना जीवन-यापन करते हैं। गाँव के लोगों को अपनी जमीन से घनिष्ठ लगाव होता है और जमीन के स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन तथा प्रत्येक जाति द्वारा अपना परम्परात्मक व्यवसाय भी किया जाता है। एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है। जजमानी व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही है। दुबे, वाइजर, सिंह एवं ईश्वरन आदि विद्वानों ने ग्रामीण जजमानी प्रथा का अध्ययन किया है। दुबे[1] जजमानी व्यवस्था के मुख्य चार कार्य मानते हैं:

(1) कृषि की क्रियाओं से सम्बन्धित व्यवसायों की सेवाएँ प्रदान करना।
(2) सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से सम्बन्धित कृषि व अन्य व्यावसायिक जातियों की सेवाएँ प्रदान करना।
(3) कुछ व्यावसायिक सेवाएँ जातियों को परम्परागत सेवाओं के बदले में प्रदान करना।
(4) व्यावसायिक सेवाएँ, नकद भुगतान की आशा से प्रदान करना।

जजमानी प्रथा के द्वारा एक जाति दूसरी जाति को जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर सेवाएँ प्रदान करती तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। वह बदले में सेवा प्राप्त करने वाली जाति से पुनः सेवा प्राप्त कर सकती है, वस्तुओं में अथवा नकद भुगतान प्राप्त कर सकती है। वर्तमान समय में जजमानी प्रथा को भूमि सुधार, भू-आन्दोलन, मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं औद्योगीकरण आदि ने प्रभावित किया है। इस व्यवस्था ने गाँवों को प्राचीन समय में आत्म-निर्भरता प्रदान की थी, किन्तु वर्तमान में गाँव राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग बन गये हैं।

(5) धर्म (Religion)-भारतीय ग्राम धर्म-प्रधान हैं। देश की विशालता के अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म, मत तथा सम्प्रदाय प्रचलित हैं, जैसे शैव, वैष्णव, दादू पन्थ, कबीर पन्थ, नानक पन्थ, हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों के लोगों का साथ-साथ निवास एवं परस्पर सहयोग धार्मिक सहिष्णुता का सूचक है। हरकोर्ट बटलर कहते हैं कि जहाँ यूरोपीय लोग धर्म निरपेक्ष हैं, वहीं भारतीय धार्मिक हैं।

गाँव में अनेक प्रकार के देवी-देवताओं को माना जाता है, जैसे राम, कृष्ण, हनुमान, तेजाजी, भैंरूजी, पाबूजी, सीतला माता, अम्बा माता आदि। गाँव में मन्दिर देवरे, शिवालय, आदि सभी धार्मिक स्थान देखने को मिलेंगे। संस्कार और उत्सव भी ग्रामीण सामाजिक संरचना के लक्षण हैं। धार्मिक संस्कारों के मानने के दौरान लोगों में परस्पर

1. S.C. Dube, Indian Village, pp. 58-59.

Scanned with CamScanner

(4)

सहयोग, समानता और एकीकरण के भाव पैदा होते हैं। होली, दीवाली, रक्षाबन्धन, दशहरा, जन्माष्टमी आदि त्यौहार और पर्व गाँव के सभी छोटे-बड़े व्यक्ति साथ-साथ मनाते हैं। धर्म से सम्बन्धित अनेक लघु एवं दीर्घ परम्पराएँ (Little and great traditions) पायी जाती हैं। धर्म ने ग्रामीण लोगों को बहुत कुछ मात्रा में भाग्यवादी बना दिया है।

(6) शैक्षणिक संस्थाएँ (Educational Institutions)— ग्रामों में औपचारिक शिक्षण संस्थाएँ सीमित मात्रा में पायी जाती हैं, किन्तु अनौपचारिक रूप से ग्रामीण लोगों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण जाति द्वारा होता रहा है। एक व्यक्ति अपने परम्परागत जातीय व्यवसाय का प्रशिक्षण अपने पुरखों से प्राप्त करता है। परिवार ही व्यापार, कृषि एवं दस्तकारी का ज्ञान अपने सदस्यों को प्रदान करता है। कृषक, लुहार, सुनार, चमार, धोबी, नाई, ढोली, पुजारी अपने व्यावसायिक ज्ञान को अपनी सन्तानों को सिखाते रहे हैं। परिवार द्वारा मनाये जाने वाले त्यौहारों, उत्सवों एवं पर्वों द्वारा व्यक्ति को धार्मिक प्रशिक्षण मिलता है। गाँवों की आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्थाएँ खोली जा रही हैं। प्रौढ़ शिक्षण का कार्य भी सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया। कृषि एवं उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी पंचायती राज और सामुदायिक विकास योजना के द्वारा की गयी।

(7) प्रतिमान, मूल्य और परिवर्तन (Norms, Values and Change)— ग्रामीण सामाजिक संरचना का सम्बन्ध ग्रामीण आदर्शों, मूल्यों तथा बाह्य प्रभाव से भी है। सामाजिक मूल्य और आदर्श भी मानव व्यवहार को तय करते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना और ग्रामों के आन्तरिक प्रशासन एवं संगठन को नेतृत्व ने भी प्रभावित किया है। ग्रामों की सामाजिक संरचना के उल्लेख के दौरान गाँवों में होने वाले नवीन सामाजिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान में ग्रामोत्थान की अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की गयी हैं। सामुदायिक विकास योजनाओं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज आदि के प्रभाव के कारण परम्परागत प्राचीन ग्रामीण सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित आदर्शों एवं मूल्यों में भी कुछ परिवर्तन आये हैं। ग्रामीण जीवन के कई क्षेत्रों में आज आधुनिकीकरण का प्रभाव स्पष्टत: दिखाई पड़ने लगा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएँ, सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य, गाँव की सामाजिक संरचना के निर्माण में योग देते हैं। ☐ Stop

Scanned with CamScanner